संख्या: 2 /2019/ 109 /अडतीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-V

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। अनुदान संख्या-13

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 1389/डब्लू-409 (JE/AES) 2018-19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू क्यू 11020/2017-डब्लू क्यू/ 53, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि ₹ 6052.50 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्राप्त केन्द्रांश में से अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 4621.72 लाख शासनादेश संख्या-87/2018/4238/38-5-2018-8 बजट/ 2018 टी0सी0-IV दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश रू0 4621.72 (रूपये छियालीस करोड इक्कीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण / शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	भा/स से प्राप्त केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश	भा/स से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य कुल राज्यांश	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-13	Japanes Encephalitis and Acute Encephalitis Syndrame (AE/JES) Non SCC-STC	4621.72	4621.72	4621.72	4621.72
	Total				4621.72

(रूपये छियालीस करोड इक्कीस लाख बहत्तर हजार मात्र)

(I) धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपित आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आकड़ो की शुद्धता का दायित्व वित्तीय सलाहाकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(VII) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VIII) प्रश्नगत कम्पोनेन्ट में पूर्व अवमुक्त / स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बनित कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन / भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2/1

(IX) उक्त वित्तीय स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2018 /बी-1-375/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(X) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन तथा केन्द्रांश स्वीकृत विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या-डब्लू क्यू- 11020/4/2017/डब्लू क्यू/ 53, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना में द्विरावृत्ति न हो।

(XI) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

(XII) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(XIII) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक / वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय-01- जलपूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति -02- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम -0201- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के0 50/ रा0 50- के0 + रा0) -24 बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0 ओ0 ई0-2-10 /दस-2019 दिनांक 08 जनवरी, 2019 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या: 02 /2019/ 109 (1) / अडतीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-V, तददिनांक ।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

(1) निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली, को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4/ ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2 ।
(10) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।